14·16 hrs.

RESOLUTION RE : DISAPPROVAL OF GOLD CONTROL (AMENDMENT) ORIDINANCE

AND

GOLD CONTROL (AMENDMENT) BILL

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sodar) : I beg to move :

> "This House disapproves of the Gold (Control) Amendment Ordinance, 1969 (Ordinance No. 6 of 1969) promulgated by the Vice-President acting as President on the 3rd July, 1969."

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है सुप्रीम कोर्ट ने गोल्ड कंट्रोल एक्ट की कुछ धाराओं को अवैध घोषित किया था और उसके अनुसार इस बिल में कुछ बातें कही गई हैं। इनके अतिरिक्त और भी कुछ बातें इसमें जोड़ी गई हैं जिनको अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए तो शायद सुप्रीम कोर्ट उनको अवैध ठहरा दे।

जहाँ तक इस विधेयक का सवाल है इसमें कोई ऐसी बात नही है जिसकी मैं निन्दा करूं। कुछ सुविधायें दी गई हैं जिनका मैं स्वागत करता हूँ। यह जो विधेयक है यह अधूरा है। मैं और मेरा दल इस गोल्ड कंट्रोल एक्ट के मूलतः विरुद्ध हैं। चूंकि हम मूलतः इसके विरुद्ध हैं इस वास्ते यह जो बिल आया है, इसका भी मैं विरोध करना चाहता हूं। मैं चाहता हूँ कि सरकार लोगों की भावनाओं को पहचाने, जनता की आवाज को सुने और गोल्ड कंट्रोल एक्ट को सस्पेंड करे, इसको समाप्त करे। लोगों को सरकार आजादी दे और जिस तरह से वे पहले काम कर रहे थे उस तरह से काम करने की उनको स्वतन्त्रा होनी चाहिए।

सरकार ने पिछले कुछ सालों में कुछ अनुभव प्राप्त किये हैं। उन अनुभवों के आधार पर मैं सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको आशा थी कि सोने का व्यापार कुछ कम हो जाएगा, तस्कर व्यापार कुछ कम हो जाएगा, हमारे देश की करेंसी की हालत कुछ ठीक हो जाएगी। इसीलिए आपने गोल्ड कंट्रोल एक्ट बनाया था। जिन उद्देश्यों को लेकर सोने का कानून बनाया गया था अगर वे पूरे नहीं हुए तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जस्टिफिकेशन है कि सरकार इस कानून को आगे चलाये रखना चाहती है ?

बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के अवसर पर प्रधान मंत्री ने कहा कि यह तो अच्छी बातों की शुरुआत है, अब चीजें चलनी तो शुरू हुई हैं। मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री कहती हैं कि अब चीजें चलनी तो शुरू हुई हैं। यानी उनके अनुसार पिछले बीस सालों में चीजें चली नहीं थीं, वहीं की वहीं खड़ी थीं। अगर उनके कथनानुसार अच्छी बातों की शुरुआत हुई है और चीजें चलनी शुरू हुई हैं, तो वह गोल्ड कंट्रोल एक्ट को समाप्त करके एक और अच्छा काम करें। बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक तो विवादास्पद है, कुछ लोग उसके खिलाफ हैं और कुछ लोग उसके समर्थक हैं। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर सरकार गोल्ड कंट्रोल एक्ट को समाप्त करेगी, तो इस सदन के एक-एक सदस्य का समर्थन और सहयोग उसे मिलेगा, बल्कि इस सदन के बाहर करोड़ों लोग उसको आशीर्वाद देंगे। इस लिए गोल्ड कंट्रोल एक्ट को समाप्त कर दिया जाये।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या सोने के तस्कर व्यापार में कुछ कमी हुई है। पिछले चार पांच साल जो सोना पकड़ा गया है, उसके आंकड़ों को देखने से साफ़ जाहिर होता है कि तस्कर व्यापार बढ़ गया है। 1967 में 5,496 किलोग्राम सोना पकड़ा गया, और 1968 में 4,522 किलोग्राम सोना पकड़ा गया जबकि 1963 में 1,870 किलोग्राम सोना पकड़ा गया था। इसका अर्थ है कि तस्कर व्यापार का सोना तीन गुना ज्यादा पकड़ा गया है। जब सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है, तो मंत्री महोदय किस मुंह से कहते हैं कि गोल्ड कंट्रोल का उद्देश्य सोने के तस्कर व्यापार को रोकना है ? अगर सोने का तस्कर व्यापार बढ़ रहा है, तो फिर इस गोल्ड कंट्रोल एक्ट का क्या लाभ है ?

[श्री कंवर लाल गुप्त]

हमारे देश में सोने के बारे में हज़ारों साल से एक विशेष पृष्ठभूमि और परम्परा रही है। हमारे देश के गांवों और शहरों में, अनपढ़ और पढ़े-लिखे सब लोग अपनी सिक्यूरिटी के लिए अपने पास सोना रखते हैं और उसके ज़ेवर बनवाते हैं, ताकि किसी मुसीबत के समय वह उनके काम आ सके। मैं पूछना चाहता हूँ कि जबसे गोल्ड कंट्रोल एक्ट लागू हुआ है, क्या तब से आज तक सोने का प्रयोग कुछ कम हो गया है। मेरा कहना है कि नहीं। मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि इस अरसे में सरकार की ओर से लोगों को एजूकेट करने के लिए कौनसा कदम उठाया गया कि सोने का प्रयोग कम करना चाहिए, इससे देश को लाभ होगा। सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। और एजूकेट करते भी कैसे?

मुझे याद है कि जब चीनियों का हमला हुआ, तो हमारी प्रधान मंत्री महोदया ने— उस वक्त वह प्रधान मंत्री नहीं थीं, प्रधान मंत्री की बेटी थीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं— एक सभा में कहा था—मैं उस सभा में था— कि मेरे पास जितना सोना है, वह मैंने डिफ़ेंस फ़ंड में अर्पण कर दिया है। आज जब मैंने उनसे सवाल किया कि उन्होंने वेल्थ टैक्स के विषय में क्या रिटर्न किया, तो पता चला कि बीस हज़ार रुपये के ज़ेवर उनके पास हैं।

श्री जार्ज फ़रनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : सत्तर हज़ार के।

श्री कंवर लाल गुप्त : अन्दर कितने हैं, यह तो मुझे मालूम नहीं है। (**व्यवधान**) वह कह सकती हैं कि सोने के ज़ेवर नहीं हैं, हीरे के हैं। हीरे के होंगे या किसी के होंगे। लेकिन सवाल यह नहीं है। वैसे हीरे में भी थोड़ा या ज्यादा सोना जरूर लगता है। सवाल यह है कि एक तरफ तो यह सरकार गोल्ड कंट्रोल एक्ट पास करके लोगों में यह भावना पैदा करना चाहती है कि वे सोने का प्रयोग न करें, वह गांवों के लोगों से यह आशा करती है कि वे सोना या सोने के ज़ेवर न रखें, वह उनसे ज़ेवर छीनती है, वह ऐसा कानून बनाती है, जिसके कारण लोग सोना और ज़ेवर नहीं बेच सकते हैं और दूसरी तरफ़ इस सरकार की प्रधान मंत्री यह घोषणा करने के बाद कि मैंने सब कुछ दे दिया है, अपने पास इतने ज़ेवर रखती हैं। मैं आशा करता हूँ कि उन्होंने अपने सब ज़ेवर दे दिये होंगे। या तो उन्होंने दे दिये होंगे और बाद में और बनवाये होंगे और या पहले सब जेवर दिये नहीं होंगे, कुछ अपने पास रख लिये होंगे। दोनों में से एक बात सच है। लेकिन अगर प्रधान मंत्री को, जो इतनी पढ़ी-लिखी हैं, जो इतनी विद्वान हैं, जो देश के सब से बड़े ओहदे पर हैं, सोने और ज़ेवर के लिए इतना लस्ट और इतना मोह है, तो अगर गांवों की महिलायें अपने पास सोना रखें, तो कौन सी बुरी बात है। (**व्यवधान**)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : श्री कंवर लाल गुप्त की बी० बी० के पास एक लाख रुपये से ज्यादा के ज़ेवर हैं। हर एक औरत के पास होते हैं। इस तरह पर्सनल एटैक करना ठीक नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर श्री रणधीर सिंह कुछ बुद्धि से काम लेंगे, तो उन्हें समझ आयेगा।

अगर सब से बड़ा ओहदे पर बैठी महिला सोने और जेवर के लिए इतना प्यार रखती है, तो गांवों की महिलायें, और दूसरी महिलायें, तो अवश्य रखेंगी।

सरकार ने लोगों को यह समझाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है कि घर में सोना नहीं रखना चाहिए, शादियों के समय उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश को उससे हानि होती है। स्वयं प्रधान मंत्री को इसका आदर्श रखना चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। (**व्यवधान**)

बैंकों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विधेयक पर बहस के समय सरकार की तरफ़ से विश्वास दिलाया गया कि बीस हज़ार तक की आबादी वाले गांवों में बैंकों की शाखायें खोली

जायेगी। मुझे मालूम नहीं कि हमारे देश में बीस हजार की आबादी वाले गांव भी हैं। लेकिन अगर गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, जो खेती करता है, जिसके पास श्री रणधीर सिंह की तरह सैंकड़ों एकड़ जमीन नहीं है, जो सही मानों में किसान है, अपने पास थोड़ा-सा जेवर रखता है...

श्री रणधीर सिंह : मेरे नाम तो पौने दो बीघे जमीन भी नहीं है।

श्री कंवर लाल गुप्त : ...अगर गांव का किसान अपने पास पांच या दस तोले सोना रखता है, ताकि आपत्ति के समय वह उसके काम आये, तो सरकार इसमें रुकावट क्यों डालती है? अगर गांव का आदमी अपने पास सोना नहीं रखता है और कल उस पर कोई विपत्ति आ जाये, तो उसको उधार कहां से मिलेगा? क्या सरकार ने पिछले पांच सालों में इस बारे में कोई व्यवस्था की है?

गांव का किसान तो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानता। बैंक पूछेगा कि क्या उसके पास कोई जायदाद या शोर्टी है। वह कहां से शोर्टी देगा?

जब सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, तो वह कैसे लोगों से कह सकती है कि वे सोना दे दें? पहले सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर लोगों को कहीं से उधार मिल सके। उसे लोगों को एजूकेट करना चाहिए कि शादियों में सोने का प्रयोग करना ठीक नहीं है, क्योंकि वह देश के हित में नहीं है। ये दोनों काम उसने नहीं किये हैं।

हमारे उप-प्रधान मंत्री तो चले गए हैं। मैं सोचता हूं कि उनके जीवन में सब से ज्यादा जो उनके माथे पर एक काला टीका है वह इस गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट का है और मैं यह चाहूंगा, मुझे उनके लिए बहुत आदर है, सत्कार है, इस सरकार के माथे के ऊपर भी वह कलंक का टीका है, अब उनके जाने के बाद वह स्क्रैप कर देना चाहिए। उन्होंने यह कहा था कि हमारी मुद्रा की स्थिति ठीक होगी। हमारे रुपये की कीमत ठीक हो जाएगी। आज क्या स्थिति है। हमारे यहाँ देश में दो जगह सोना होता है। एक जगह का सोना तो हम इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रीज में और दूसरी जगह का सोना रिजर्व में रख लेते हैं। लेकिन रिजर्व में रखने के बाद भी हिन्दुस्तानी रुपये की कीमत गिरती जा रही है। आप बाहर जाकर देखें, जो-जो व्यक्ति बाहर गए हैं उन्हें मालूम है कि हिन्दुस्तानी रुपये की कीमत वहां कुछ भी नहीं है। लोग उसकी कोई इज्जत नहीं करते। यहाँ तक कि मुझे आज तो नहीं मालूम पर आज से कुछ महीने पहले पाकिस्तान की करेंसी की हालत भी हम से अच्छी थी। अब अगर आपकी करेंसी की हालत ऐसी है, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है, अगर सोने का तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है, सोने का प्रयोग न करने के लिए आपने लोगों को एजूकेट नहीं किया, आप ने गांवों में कोई बैंक नहीं खोला जो छोटे-छोटे गाँव वालों को उधार दे सके, 20 हजार वाले शहरों की बात मैं नहीं करता, तो आप बताइए कि आपका जस्टि-फिकेशन क्या है? हाँ, 4 लाख लोगों को आपने बेकार कर दिया। जो लोग पीढ़ियों से सोने का काम करते थे उनके हाथ में एक कला थी, उनके हाथ को आपने काट करके बड़ा भारी पाप किया। उन लोगों को बेकार कर दिया। आप कहेंगे कि हमने यह किया, वह किया, उनकी सहायता की। मैं कहता हूँ कि उस सहायता से कुछ लाभ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बेकार हो गए और आज भी लोग चिल्ला रहे हैं उसके लिए। मैं तो चाहता हूं कि यह सारा ऐक्ट का ऐक्ट वापस होना चाहिए क्योंकि यह ऐंटी पीपुल है और अगर आप अपना व्हिप हटा दें तो मुझे विश्वास है कांग्रेस का भी एक-एक सदस्य मेरी बात का समर्थन करेगा। इस सदन में या इस सदन के बाहर शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा जो

[श्री कंवर लाल गुप्त]

यह कहे कि गोल्ड कंट्रोल ऐक्ट से कोई लाभ हुआ है या यह यहाँ पर रहना चाहिए। इसलिए मैं आपके जरिए से प्रार्थना करूंगा मंत्री महोदय से कि यह जो एक गलत काम हुआ है उसको खत्म करना चाहिए और अगर आप इसको बिलकुल समाप्त नहीं करना चाहते तो कम से कम आज जो उनके ऊपर और कई तरह की पाबन्दियां हैं वह पाबन्दियां तो हटा देनी चाहिएं। इसके बेचने पर, इसके बनाने पर जो पाबन्दियां हैं उनको हटा लेना चाहिए।

एक बात और कहकर मैं समाप्त करूंगा। इन्होंने अब यह रखा हुआ है कि कोई पुराने जेवरों को तुड़ा करके नये जेवर बनवा सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पर हाथ रखकर देखें, हमारे घरों में विवाह शादियां होती हैं कितने परिवार ऐसे होते हैं जो पुराने जेवरों को तोड़ करके नये जेवर बनाते हैं। सबको एक तरह से सारे देश को बेईमान बनने पर बाध्य कर दिया है। वह नाम है पुराने जेवरों को तुड़ाने का और सब तस्करी का सोना आता है, सुनार उसको बनाता है। मैं चाहूंगा कि हमारे भाई रणधीर सिंह जी इस बात को कहें, वह भी इस बात को देखते हैं। क्या यह बात ठीक नहीं है? जब सारे देश को ही इस तरह से कानून बना कर के बेईमान बनने के लिए आप बाध्य करते हैं तो ऐसा कानून क्यों बनाते हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यह कह करके मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि भगवान के लिए, जनता के लिए, इस प्रजातंत्र के लिए आप इस कानून को वापस लीजिए और ऐसा करिए कि प्रधान मंत्री ने जो कहा है कि कुछ शुरुआत हो गई है, वह शुरुआत इस चीज से जारी रहे ताकि हम समझें कि आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं।

श्री हुकम चंद कछवाय (उज्जैन): मैं प्रार्थना करता हूं कि इस सदन के अन्दर परम्परा रही है कि अब यहां कोई भी बिजनेस चल रहा हो तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य उपस्थित होना चाहिए। मेरा यह कहना है कि मंत्रिमंडल की तरफ से लगातार सदन की अवहेलना की जा रही है। आप आदेश दें सरकार को कि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य यहाँ रहे।

श्री कंवर लाल गुप्त: इनका कहने का मतलब यह है कि··· (**व्यवधान**)

MR. CHAIRMAN: I can understand the point of order if there is no Minister, who is in charge of the subject, present in the House. He cannot insist that a Cabinet Minister should be present.

श्री हुकम चंद कछवाय: मैं भूतपूर्व अध्यक्ष का निर्णय आपको बता रहा हूँ जब सरदार हुकम सिंह यहाँ अध्यक्ष थे उन्होंने यह आदेश दिया था जब शास्त्री जी प्रधान मंत्री थे कि यहाँ कैबिनेट मंत्री का रहना जरूरी है।

SHRI KANWAR LAL GUPTA: It is not a question of ruling but a question of propriety.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C.) SETHI). Sir, I move*:

> "That the Bill to amend the Gold (Control) Act, 1968, by taken into Consideration."

Mr. Chairman, Sir, the measure before the House is a very limited one. As far as the parent Act of Gold Control is concerned, it is on the statute book in spite of the fact that it was challenged in various High Courts and, ultimately, in the Supreme Court. The Supreme Court has given its verdict with regard to certain clauses, not with regard to the parent Act.

I would like to quote from the judgment of the Supreme Court wherein they have stated:

> "It follows, therefore, that in enacting the impugned Act, the Parliament

*Moved with the recommendation of the vice President acting as President.

> was validly exercising its legislative power in respect of matters covered by Entry 52 of List I and Entry 33 of List III."

The Court further observed :

> "Parliament is competent to legislate in regard to the subject matter of the impugned Act."

Therefore, as far as the validity of the parent Gold Control Act is concerned. it was challenged as being violative of Article 19 (1) (f) and (g) and Articles 14 and 31 of the Constitution. As far as that part is concerned, the Supreme Court has given the verdict that it is not invalid. It stands. But the Supreme Court, while giving the judgment, came to the conclusion that as far as certain Sections of the Act are concerned, that is to say, 5(2) (b), 27(2) (d), 27(6), 32, 46, 88 and 100, they were unreasonable and, therefore, invalid. While declaring these provisions invalid, the Court also observed :

> "We are of opinion that the provisions which are declared invalid cannot affect the validity of the Act as a whole......The Act still remains substantially the Act as it was passed."

So, the measure which is before the House is not of taking into consideration the parent Act or the Gold Control Act as such but what we have brought before the House is with respect to only those clauses and consequential changes which we think were necessary on account of the Supreme Court jugment and certain improvements that we wanted to make in the light of the observations of the Supreme Court with regard to certain other clauses also even if they were not held invalid. That is the limited purpose as far as this Bill is concerned. Therefore, I will not go into the merits and demerits of the Gold Control Act as much at the present juncture.

The Gold Control Act, when it came in the year 1963 under the Defence of India Rules, the House is well aware that at that particular time, the restriction was to the 14 carat and that was the crux of the problem. But in view of the voluminous opinion expressed both inside and outside the House with regard to 14 carat, ultimately, it was decided in September, 1963 itself that as far as 14 carat is concerned. as far as the gold smiths are concerned. they could manufacture ornaments of more than 14 carat purity also. Therefore. as far as the goldsmiths are concerned, the restriction which had come on them with regard to the manufacture of not more than 14 carat gold ornaments had gone. Further improvement was made later on in view of the opinion expressed in the House and outside with regard to the manufacture of ornaments of more than 14 carat purity, that it to say, even of 22 or 24 carat gold. That was also allowed to them.

As far as dealers are concerned, there are about 12000 dealers in the country and, as far as goldsmiths are concerned, there are about 2,50,000 goldsmiths in the country.

As far as the artisans, goldsmiths or dealers, are concurned, there is no restriction whatsoever with regard to the manufacture of gold ornaments of more than 14 carat purity.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : May I have just a clarification. There is a restriction as to the amount of gold that he can hold at one time as far as the dealer is concerned and he cannot sell it. Will the hon. Minister clarify ?

SHRI P. C. SETHI : I would clarify, I was saying with regard to the authority to manufacture, As far as the authority to manufacture ornaments is concerned, both with regard to dealers and with regard to goldsmiths, they have the freedom to prepare ornaments of more than 14 carat purity or of any carat, whatsoever, they like. But as far as the possession of gold is concerned, certainly there is a restriction both on the dealers and on the goldsmiths. As far as the dealers are concerned, they can have 400 grams in their possession if they have no employee ; if they have more than 10 employees, they can possess 500 grams ; if they have more than 20 employees, they can have 2,000 grams. As far as the goldsmith is concerned, he can have 300 grams of which not more than 100 grams should be in the form of gold bar. This is with regard to the Primary gold itself. As far as gold bars are concerned, the dealers can possess gold bars of standard quality to any extent. But now we are coming with a provision. When those provisions come,

[Shri P. C. Sethi]

when that particular Clause comes, I will show that even with regard to possession of gold bars...

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI : I am seeking this clarification because Some goldsmiths have represented this to me. You said about primary gold. Very often the dealer or artisan or goldsmith has the requisite quantity allowed by this Act in his possession, and when people come to him with ornaments to be refashioned, it can be said that he has alreedy got so many grams of gold and he cannot take the ornaments. Then he will be placed in a difficult position.

SHRI P. C. SETHI : What I am saying is about the restriction with regard to possession of primary gold. As I have said, with regard to gold bars of standard quality, there is no restriction. With regard to ornaments, there is no restriction, whatsoever. All that he has to do is, whatever ornaments he has in possession as a dealer, he has to declare. Even with regard to ornaments which a family can possess, there is no restriction if the ornaments are worth about Rs. 60,000, but if anybody has gold ornaments of more than Rs. 60,000 worth in his house, there is no restriction on possession but certainly the possessor has to give a declaration about the ornaments. This is the position.

Therefore, as far as the main Act is concerned, it stands. The various clauses which have been held invalid by the Supreme Court are with regard to administrative measures and the authority or delegation of power given to the Administrator. The Supreme Court held with regard to the various provisions that the authority or the powers which were delegated to the Administrators or the Gold Controllers were far in excess and, therefore, on that account and on some similar nature of counts they held invalid the clauses which I have just mentioned—Clauses 5(2) (b). 27(2) (d) 27(6), 32, 46, 88 and 100. Therefore, these are the particular clauses in regard to which we have come before this hon. House in the form of the present Bill.

Apart from this, there is a category of amendments which we have introduced on account of the Supreme Court's judgment and they are contained in Clauses 2, 6, 8,10, 12 and 13 of the Bill. There is also a second category of amendments which we have included and they are in sections 17(2) (d), 17c (6) and 39(2) (c). There is also a third category which gives relaxations or amplifications or simplifications in regard to the main Act.

As far as this particular Bill is concerned, I would like to bring to the notice of the hon. Member, Shri Gupta, that this is not dealing with Gold Control Act as such. This is not the opportune time for me to go into all the details which he mentioned, whether gold control as such has succeeded or not. The fact remains that there is smuggling in gold.—The fact also remains that if the gold control had not been there, there would have been complete freedom for smuggling. Sumuggling continues in spite of the fact that there are strong measures inthe from of gold control and also in the from of various anti-smuggling measures which we are taking. The fact remains that gold is being smuggled into the country because of the high prices which are prevalent in the country. There is the centuries old tradition with regard to the possession of gold, with regard to the lust for gold. Therefore, as far as gold smuggling is concerned, although the seizures go to show that seizures are increasing, one could also claim and say that although seizures are increasing, smuggling may also be increasing. It may be anybody's guess. I would not deny the fact that there is smuggling. The mode of smuggling might have changed. Previously it was through carriers. Now it comes in motor boats from Dubai and other places. They come into the Indian Ocean and from there fishermen and others who are engaged in the smuggling activities bring it. Silver is smuggled out against gold. It is also paid in the form of foreign exchange which is available to some extent in the black market. These are various things which are prevalent. But the fact remains that the Gold Control Bill as such has nothing to do with this. This Bill has a very limited object. I would request that this Bil! as it is may be passed and, therefore, I move for the consideration of the Bill.

MR. CHAIRMAN : The Resolution and the Bill are both before the House.

There are amendments to the motion for consideration.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) : I beg to move :

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st November, 1969." (1)

SHRI DEVEN SEN (Asansol) : I beg to move :

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 19th September. 1969." (8)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : I beg to move :

> "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereon by the 31st December, 1969." (9)

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिण्ड) : मैं प्रस्ताव करता हूँ—

स्वर्ण (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 1969 (1969 का विधेयक संख्या 67) को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। (17)

MR. CHAIRMAN : The Resolution and the Bill will both be discussed together.

SHRI B. K. DASCHOUDHURY (Cooch-Behar) : Mr. Chairman, Sir, I have also submitted two ameadments.

MR. CHIARMAN : I have called only those members who have tabled amendments to the consideration motion.

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : चैयरमैन महोदय, मुझे तो इस बिल के बारे में सिर्फ इतना कहना है कि जैसा अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि हमारा सोने पर कोई ज्यादा नियन्त्रण नहीं है, 500 ग्राम तक रख सकते हैं, लेकिन इससे सुनारों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मान लीजिये कि चार आदमी उसके पास जेवर बनवाने के लिये गए और चारों ने पांच-पांच सौ ग्राम के जेवर बनवाये—यह कोई नई बात नहीं है, शादियों के दिनों में इतने आदमी जेवर बनवाने वाले होते हैं कि सुनार को चैन नहीं मिलता है—अब होता क्या है, आपके एक्साइज डिपार्टमेंट वाले, जो जांच करते हैं, उसके यहाँ छापा मारते हैं, चूँकि उसके यहाँ 500 ग्राम से ज्यादा सोना होता है, इसलिए उसको पकड़कर ले जाते हैं। आपके इस संशोधन में इस चीज का बिल्कुल उल्लेख नहीं है कि अगर 15 आदमियों के नाम उसके रजिस्टर में लिखे हैं, नये सोने का जेवर और पुराने सोने का जेवर बनवाने वालों के नाम दिये हैं, यानी अलग-अलग बिल रजिस्टर हैं लेकिन वे उसको वे उसको देखते नहीं, छापामार सोने को अपने कब्जे में कर लेते हैं, नतीजा यह होता है कि शादी होने से रह जाती है और जो इमानदार सोनार है वह जेल में जा फँसता है। तो उसके लिए बिल में कोई प्राविधान होना चाहिए। सोनार के यहां रजिस्टर में अगर 10-15 अदद सोना आया हुआ है तो जिस तरह से आपने 500 ग्राम या 6 हजार रुपए की सीमा बताई है—सोने के बिस्कुट तो उस सोनार के पास होते नहीं हैं, वह तो बम्बई में बेचने वालों के पास होते हैं, उसके पास तो पांच, दस, सौ या दो सौ ग्राम के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं, जिनको दूसरी जगह से लेकर वह जेवर बनाता है, इसमें एक तरफ तो बेचारा सोनार मारा जाता है क्योंकि उसके पास सोना इकट्ठा हो जाता है और फिर जब वह जेवर जोहरी के पास जाते हैं तो वह भी मारा जाता है क्योंकि उसके पास जेवर इकट्ठा हो जाते हैं। गाँव वालों की हालत यह है कि शादी के लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो जेवर जौहरी के पास रख देते हैं, कहते हैं कि आकर के ले जायेंगे क्योंकि कहीं रास्ते में कोई काट न ले। इस तरह के कितने ही केसेज राजस्थान में पकड़े गए हैं जिनका निपटारा नहीं हो रहा है। इसलिए इस तरह का प्राविधान इसमें होना चाहिए, शादी ब्याह में इस तरह की छूट होनी चाहिए कि 10-15 जेवर सोनार या दुकानदार के यहाँ मिलते हैं तो उन पर किसी तरह का जुर्माना या सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसी हिदायत एक्साइज ड्यूटी वालों को जरूर कर देनी चाहिए।

SHRI BEDABRATA BARUA (Kaliabor): The Gold Control orders have been very controversial but at the same time they have been very much needed because of certain imbalances in our traditional life, which need to be corrected not only throug legislative processes but also through propaganda etc I think we have been very strong so far as the legislative side is concerned, but so far as the propoganda side is concerned, we have not been able to take a leaf out of those countries which have done much better work indeed.

So far as gold is concerned, it is an international and even a national medium of exchange. Attachment to gold as such and its hoarding has led to smuggling in the country ; gold goes out and comes in ; it is paid for with silver and silver is used for smuggling of all types of foreign commodities into our country ; in this way, the craze for gold in our country has itself led to intense efforts on the part of everybody to acquire it. Once people start acquiring gold, and particularly when the womenfolk want it, there are all types of arguments for it. Once people start acquiring gold, it beings to increase in value. That has been the position in our country over the centuries, as a result of which hundreds of crores of rupees worth of gold has gone into unproducitve aspects of our traditional life. It is so much of money which could have been used for the development of the country, which could have brought so much of interest and which could have strengthened our economy and which could have been utilised for so many other things if it had not gone into hoarding. Because it has gone into hoarding. the demand increases, and the price rises slowly and goes ahead of the international price. As the price starts increasing, the hoarders, profiteers and blackmarketeers come in. They find that there is a commodity which they could hoard and thereby get a higher price for it every month or every year. This is a sort of vicious circle. As the demand goes up, the price also goes up. Thus, it creates a certain difficulty out of which we cannot get out. This type of fascination for gold has not only encouraged hoarding, but it has encouraged burglary, it has encouraged dacoity and it has encouraged a number of murders. There is no way out of this except to put to an end to this type of belief in the possession of gold. There is a substantial argument for it. If an individual has black money, he can invest it in gold. That avoids all the difficulties of taxation etc. Also the price appreciates because it feeds upon itself. So something has to be done.

What has been done is, I think, on balance good. No doubt there are certain aspects of it which require to be looked into. Take, for example, the lack of propaganda. The high-pressure propaganda that the communist world specialises in may be sometimes good, as in this case. We should be able to tell our womenfolk that it is no longer a matter of pride to have the type of ornaments to which they have been accustomed so far, ornaments of gold costing Rs. 2,000 and so on. We have to have a struggle in society against this in-buit sentiment connected with gold. We should still be able to say that it is theft to have so much of gold. We should tell them that it is not proper to have this gold in this way in present circumstances. We should tell them that it is better to have ornaments which are equally good, equally beautiful and appealing, but not so costly. It is not necessary that one should be constantly inviting burglars and others by carrying on one's effeminate body a lot of costly ornaments. It is much better to have equally beautiful but less costly ornaments.

We should be able to publicise this not in a small way, but in a very big way, in a nation-wide way.

The possession of gold costing hundreds of crores of rupees by individuals in the countryside has retarded the growth of our economy and deprived us of so much of equivalent foreign exchange. I think we could have financed the whole Plan out of the gold reserves in the country ; we might even have a surplus after that for other useful purposes. This is the situation which we should tackle at the propaganda level.

There is another aspect. So long as we permit the ownership of wealth on the part of individuals, people would own it. If a man owns a car worth Rs. 2).000 in a society where people do not have shoes to go with, it is an unfair state of affairs, because some people own more wealth or more jewels than others do.

The whole point is that the craze for gold must go. The craze for gold ornaments must be combated. It is this craze for gold which has created a lot of problems, encouraging smuggling and all the infamous activities connected with the port of Duboi which have been a source of so much concern and difficulty for our Finance Ministry. So it must be done away with.

MR. CHAIRMAN : We will proceed with this the next day and now take up non-official business.

14.58 hrs.

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of sections 2, 4 etc.*)

श्री जार्ज फरनेन्डीज : (बम्बई दक्षिण) सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम, 1956 में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill to amend the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956."

The motion was adopted

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक पेश करता हूं।

WEALTH TAX (AMENDMENT) BILL*

(*Insertion of new section 16A*)

SHRI BENI SHANKER SHARMA (Banka) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Wealth-Tax Act, 1957.

MR. CHAIRMAN : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Wealth-Tax Act, 1957."

The motion was adopted.

SHRI BENI SHANKER SHARMA : I introduce the Bill.

14.59 hrs.

CODE OF CIVIL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(*Omission of section 87B*) By Shri M. N. Reddy

MR. CHAIRMAN : We now proceed with further consideration of the following motion moved by Shri M. Narayana Reddy on the 25th July 1969 :

> "That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, be taken into consideration."

Shri M. N. Reddy may continue. He has taken 8 minutes. 52 minutes are left for this Bill.

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : सभापति महोदय, मेरा नियम 340 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव है कि श्री नारायण रेड्डी के विधेयक पर बहस समाप्त की जाय।

मेरा इस बारे में यह कहना है कि आज सुबह तमाम अखबारों में···

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : He wants to raise a point of order under rule 340.

15 hrs.

MR. CHAIRMAN : I am not allowing it. Nothing will go on record. He must give proper notice.

SHRI B. P. MANDAL (Madhipura) : Under rule 340 no notice is needed. Any time after the motion has been made a Member might move that the debate on the motion be adjourned. So, there is no question of notice.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरे प्रस्ताव का कहना यह है कि आज दिल्ली के तमाम अखबारों में और देश के अखबारों में भी यह खबर छपी है कि प्रधान मंत्री की जान को खतरा है।

---

* Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, section 2, dated 8-8-69.